



समृद्धि जगते

राजस्थान राज-पत्र

विशेषांक

माधिकार प्रकाशित

R.N.I. No.- RAJ BIL/2000/1717  
POSTAL REGD. No.- J.P.C./3588/02/08-05  
RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 21, शुक्रवार, शाके 1930--सितम्बर 12, 2008  
Bhadra 21, Friday, Saka 1930--September 12, 2008

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों  
उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

ORDER

Jaipur, September 09, 2008

G. S. R.84.-In exercise of the powers conferred under Rule 4(2) of the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1992, Hon'ble Speaker, Rajasthan Legislative Assembly hereby issues this order to make following further amendments in the Schedule, namely:—

1. Short title and commencement.—(a) These Rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) (IInd Amendment) Rules, 2008.

(b) They shall come into force at once.

2. Amendment in Schedule .- After the existing serial number 5 and before serial No. 6 under the heading "Rajasthan Vidhan

Sabha Subordinate Services," following serial number 5A and entries therein shall be inserted, namely :—

Sl. No.	Name of post	Method of recruitment and percentage	Minimum academic qualifications, experience for direct recruitment and qualifying service on next lower post and departmental test for promotion.	Next lower Post/ posts to be held for promotion	Criterion for promotion	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
5A	Security Guard	100% by direct recruitment	Ex-servicemen only.			The post shall be filled in by inviting applications from eligible candidates and selection shall be made on the basis of interview.

[No. F. 3 (6) Esst./RLA/1991 Part-III/2008]

By Order,  
एच. आर. कुडी,  
Secretary.

(अधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

आदेश

जयपुर, सितम्बर 9, 2008

जी. एस. आर. 84:—राजस्थान विधान सभा सचिवालय ( मती तथा सेवा की गती ), नियम, 1992 के नियम 4 (2) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा इन नियमों की अनुसूची में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(अ) यह नियम राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्तों तथा सेवा की शर्तों) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2008 कहलायेंगे।
- (ब) ये नियम तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।
2. अनुसूची में संशोधन:—(1) शीर्षक “राजस्थान विधान सभा अधीनस्थ सेवा” के अधीन विद्यमान क्र. सं. 5 के पश्चात् और क्र. सं. 6 के पूर्व निम्नलिखित क्र. सं. 5क तथा उसकी प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:—

क्र.सं.	पद का नाम	भर्तों की रीति और प्रतिशत	सीधी भर्तों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हतायें, अनुभव तथा ठीक निम्नतर पद की अर्हक सेवा तथा पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षण	पदोन्नति के लिए धारित किया जाने वाला/वाले ठीक निम्नतर पद	पदोन्नति की कसौटी	अभ्युक्तियों
1	2	3	4	5	6	7
5क	सुरक्षा प्रहरी (केवल भूतपूर्व सैनिकों से)	100% सीधी भर्तों द्वारा	केवल मात्र भूतपूर्व पौजियों से	--	--	पद, पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करके भरा, जायगा और चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा।

[संख्या एफ. 3 (6) संस्था/विस/1991-पाठ-III/2008]

आज्ञा से,  
एच. आर. कुडी,  
सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।